

## ::आदेशः

दिनांक 08 एवं 09,दिसम्बर, 2023 को जनपद-देहरादून (वन अनुसंधान संस्थान-FRI) में आयोजित उत्तराखण्ड वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2023 (Global Investor Summit 2023) तथा इस अवसर पर महानुभावों के आवागमन एवं उनके सुरक्षा मानकों को लेकर यातायात रूट परिवर्तन के फलस्वरूप सम्बन्धित मार्गों से प्रभावित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं व अभिभावकों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो के मध्यनजर दिनांक 08 व 09,दिसम्बर,2023 को नगर निगम, देहरादून तथा विकासखण्ड-सहसपुर, डोईवाला, रायपुर एवं विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत सभी शासकीय, अशासकीय, निजी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।



(सोनिका)

जिला मजिस्ट्रेट,  
देहरादून।

### कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या- 4679 /

-2023

दिनांक:- 07 ,12, 2023

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- स्टॉफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- सचिव, शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7- नगर मजिस्ट्रेट, देहरादून।
- 8- समस्त अपर/ उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद-देहरादून।

प्रतिलिपि:-

निम्नांकित को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य, देहरादून को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इस निर्देश के साथ कि यह परीक्षण भी कर लिया जाय कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में पूर्व से राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई प्रतियोगिता परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो ऐसी स्थिति में केवल प्रतिभागियों को ही संस्थान में बुलाया जाय।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), देहरादून।
- 3- नगर शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहसपुर/रायपुर/डोईवाला/विकासनगर।
- 5- समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।



जिला मजिस्ट्रेट,  
देहरादून।